आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–06 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निशा घोष के निकट संबंधी श्री डब्लू घोष, ग्राम– जनार्दनपुर, पं0–बागडेहरी, प्रखण्ड–कुण्डहित, जामताड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित। शिकायतकर्ता के निकट संबंधी श्री डब्लू घोष वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आयोग से ये पूछा कि आयोग के बार–बार निदेश निर्गत किये जाने के बावजूद लाभुक को लाभ नहीं मिलना क्या इस बात को नहीं दर्शाता है कि अधिकारियों को आयोग के आदेश की फिक्र नहीं है। आयोग शिकायतकर्ता के निकट संबंधी द्वारा व्यक्त किये गये विचार को गंभीरता से लेता है। आयोग ये मानता है कि समाज कल्याण निदेशालय की कार्य प्रणाली के कारण लाभुकों में रोष बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि आयोग ने अपने पिछले सुनवाई, जो दिनांक–28.03.2024 को हुई थी उसमें निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश दिया था कि वो अगली सुनवाई से पूर्व लाभुक को योजना का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आयोग ने निदेशक को ये निदेश भी दिया था कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा से आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण पुछा जाय। बावजूद इसके निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा न तो कोई प्रतिवेदन आयोग को भेजा गया है और न ही आज की सुनवाई में भी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता के निकट संबंधी श्री डब्लू घोष ने आयोग से आग्रह किया कि इस वाद में लाभुक को बकाया राशि के साथ–साथ मानसिक और आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति के तौर पर 2000रू० की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाय। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को इस आशय का लिखित अनुरोध आयोग को प्रेषित करने का निदेश दिया गया। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो 07 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को बकाया राशि और क्षतिपूर्ति की 2000रू० की राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं किये जाने पर आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के विरूद्ध NFSA की धारा 20 (2) के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–29.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	